

लोक प्रशासन (Public Admn.) और निजी प्रशासन (Private Admn.) में क्या अंतर है ?

वास्तव में, लोकप्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में कई समानताएँ वर्तमान हैं। यही कारण है कि दोनों प्रशासनों के अंतरों को बहुत-से विद्वान पकड़ नहीं पाते हैं। दोनों प्रशासनों में सबसे बड़ी समानता तो यह है कि दोनों प्रकार के प्रशासनों में एक ही प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के प्रशासनों के कर्मचारी अपने पदों को एक-दूसरे से अकसर बदला करते हैं। भारत में ही यह देखने को मिलता है कि अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह 1949-50 ई० में सरकार को उच्च पदाधिकारियों का अभाव हो जाने पर आई० ए० एस० की विशेष भर्ती के लिए औद्योगिक संस्थानों में काम करनेवाले व्यक्तियों को भी आवेदन-पत्र भेजने का निमंत्रण देना पड़ा। इंग्लैंड में भी कोयला, गैस, विद्युत और यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण होने पर उनमें लगे अधिकांश पदाधिकारियों को हटाया नहीं गया। यदि दोनों प्रशासनों के बीच मूलभूत अंतर रहता तो लोकप्रशासन में व्यक्तिगत प्रशासन के पदाधिकारियों को स्थान नहीं दिया जाता। इसके अलावा, व्यापारिक संस्थानों में जिन पद्धतियों को अपनाया जाता है, उनका प्रभाव लोकप्रशासन पर पड़े बिना भी नहीं रहता है। उदाहरण के लिए, व्यापारिक संस्थानों के अनुभव के आधार पर ही सरकारी नियमों को प्रचलित किया गया है। व्यक्तिगत प्रशासन में जो विशेषताएँ लाभ पहुँचा रही हैं, उनको लोकप्रशासन में समन्वित कर लेना आवश्यक माना जा रहा है। विशेषतः, कार्यालय के प्रबंध और मितव्ययिता के मामले में व्यापारिक संस्थाएँ ज्यादा कुशल होती हैं। सरकार इन चीजों की नकल करने में नहीं हिचकती है। उसी तरह, सरकारी प्रशासन के अनुभवों से व्यक्तिगत प्रशासकीय संस्थाएँ लाभ उठाने में नहीं चूकतीं। मिस फॉलेट ने दोनों प्रशासनों की एक अन्य समानता की चर्चा करते हुए कहा कि दोनों ही प्रशासन इस बात के लिए सचेष्ट रहते हैं कि वे अपने-आपको नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित करने के लिए समय-समय पर परिवर्तन अपनाते रहें। इस तरह, दोनों प्रशासनों में अत्यधिक समानता है। साइमन ने भी कहा है कि "दोनों प्रशासनों में असमानता से अधिक समानताएँ ही हैं।"²

इन समानताओं के बावजूद दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। आज भी दोनों प्रशासनों के बीच अंतर दिखानेवाले तत्त्व मौजूद हैं। एपलबी महोदय का कहना है कि दोनों प्रशासनों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ पाई जाती हैं, जिनके आधार पर दोनों में भेद किया जा सकता है। उनके विचारानुसार, "व्यापक अर्थ में सरकारी कार्य तथा स्थिति के कम-से-कम तीन ऐसे पूरक पहलू हैं, जो सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं और क्रियाओं (तथा व्यक्तिगत प्रशासन) के बीच विभिन्नता प्रकट करते हैं। वे पहलू हैं—क्षेत्र-प्रभाव और विचार का विस्तार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रकृति।" साइमन ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि "लोकप्रशासन की प्रकृति राजनीतिक है तथा वह नौकरशाही एवं लालफीताशाही के रंगों से रंजित है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत प्रशासन अराजनीतिक व्यापारिक तथा नौकरशाही और लालफीताशाही से मुक्त होता है।"¹

दोनों प्रशासनों के बीच के अंतर को जोशिया स्टॉप ने स्पष्ट करते हुए चार अंतरों को स्पष्ट किया है—(क) लोकप्रशासन जनता के साथ समान व्यवहार करता है। एक ही प्रकार

1. "We are no longer..."

के नियम का पालन सभी जगह होता है, (ख) लोकप्रशासन पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है; (ग) लोकप्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और (घ) लोकप्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनसेवा है।

विद्वानों के उपर्युक्त कथन के आधार पर ही लोकप्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में निम्नांकित अंतर बतलाए जा सकते हैं—

(i) लोकप्रशासन का कार्यक्षेत्र व्यक्तिगत प्रशासन की तुलना में बहुत व्यापक होता है। वास्तव में, सरकार की तरह कोई भी व्यक्तिगत संस्था विस्तृत नहीं हो सकती।

(ii) लोकप्रशासन का संबंध समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति से है, जिनके बिना सामाजिक जीवन को संचालित करना संभव नहीं है। लोककल्याण द्वारा बहुत से ऐसे कार्यों का संपादन किया जाता है, जिनके संपादन का भार राज्य किसी अन्य संस्था को नहीं दे सकता। उन कार्यों पर राज्य का ही एकाधिकार बना रहता है। इस अर्थ में लोकप्रशासन व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न है।

(iii) व्यक्तिगत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति है; परंतु, लोकप्रशासन का नहीं। लोकप्रशासन का तो मुख्य उद्देश्य निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना है। लोकप्रशासन थोड़े लाभ के लिए परेशान न होकर लोकप्रशासन की दृष्टि से काम करता है। उसे ऐसे कार्यों के संपादन में तनिक भी हिचक नहीं होती, जिनमें सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है, परंतु, जो अच्छे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत प्रशासन में यदि प्रशासक को यह लगे कि अमुक उद्योग प्रारंभ करने में उसे लाभ नहीं होगा, तो वह उसे शुरू नहीं करेगा।

(iv) लोकप्रशासन जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में एकरूपता पाई जाती है। वह समाज के सदस्यों के साथ किसी तरह का पक्षपात किए बिना ही उनकी सेवा करता है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत प्रशासन में इस प्रकार के समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती और वह समाज के किसी वर्ग के साथ विशेष संबंध बनाए रख सकता है।

(v) व्यक्तिगत प्रशासन की अपेक्षा लोकप्रशासन के संचालन में कानून का भी महत्त्व अधिक है। उदाहरण के लिए, लोकप्रशासन से खरीददारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कानून के अनुसार चलते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन में इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो अपने नियमों का निर्माण स्वयं करता है, जबकि लोकप्रशासन को देश के कानूनों की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है।

(vi) व्यक्तिगत प्रशासन के विपरीत लोकप्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवहार में वह जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में प्रशासन के किसी छोटे प्रश्न पर वाद-विवाद हो सकता है। उदाहरण के लिए, भाखरा नांगल बाँध के टूटने पर संसद में प्रश्नों की झड़ी लग गई थी और प्रतिरक्षा विभाग में गड़बड़ी होने के कारण श्री कृष्ण मेनन को त्यागपत्र देना पड़ा था। इस प्रकार, लोकप्रशासन को जनता की आलोचनारूपी हथियार से भयभीत रहते हुए कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत प्रशासन जनता के प्रति इस रूप में उत्तरदायी नहीं रहता।

(vii) एक अंतर यह भी है कि लोकप्रशासन पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। राज्य के करों द्वारा एकत्र जनता का धन जनकल्याण के लिए ही खर्च किया जा सकता है, अतः धन पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण आवश्यक है। परंतु, व्यक्तिगत व्यवसाय में धन किस प्रकार खर्च किया जाता है, यह पूछनेवाला कोई नहीं होता।

(viii) लोकप्रशासन पर देश की राजनीति का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। अधिकतर राज्यों में दल की सरकारों की स्थापना की जाती है, अतः प्रत्येक सरकार ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए सचेष्ट रहती है, जिससे उसका दल मजबूत हो। एपलबी ने भी यह स्वीकार किया है कि लोकप्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन का सबसे बड़ा भेद लोकप्रशासन की राजनीतिक प्रकृति में निहित है।

(ix) दोनों प्रशासनों के व्यवहार के नियम और आचरण के सूत्रों में भी भिन्नता वर्तमान है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक व्यक्तिगत संस्था अपनी वस्तुओं का विज्ञापन और प्रचार कर सकती है, उस प्रकार का विज्ञापन लोकप्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकप्रशासन की अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं, जो इसे व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न रखती है। फिर भी, दोनों का अंतर नाममात्र का है। आधुनिक युग में व्यापारिक सिद्धांत ने तो दोनों के अंतर को और भी कम कर दिया है। यह कहना भी अब गलत होगा कि व्यवसाय के प्रशासन का लक्ष्य केवल लाभ प्राप्त करना है। इन दिनों बहुत हद तक उसका लक्ष्य भी जनता की सेवा करना हो गया है। कोई भी व्यापारी बिना जनता की जरूरतों को पूरा किए, मनमाने ढंग से मुनाफा नहीं कमा सकता है। उसे भी देश के कानूनों के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। समाज के हित के लिए तथा मजदूरों और उपभोक्ताओं की शोषण से रक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रशासन को भी नियमित किया जाता है। जहाँ तक जनता के प्रति उत्तरदायित्व का प्रश्न है, कुछ क्षेत्रों में लोकप्रशासन अधिक उत्तरदायी है, तो कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रशासन ही अधिक उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, सरकारी कर्मचारियों की गलतियों के लिए सरकार जहाँ अपना उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती, वहाँ व्यक्तिगत व्यापारी अपने एजेंट द्वारा हुए नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायी हैं। अतः, यह कहना ठीक ही है कि लोकप्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन का भेद मिटता जा रहा है। एम० पी० शर्मा ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत प्रशासन और लोकप्रशासन का भेद मात्रा का है, प्रकार का नहीं।¹

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत प्रशासन और लोकप्रशासन में जो अंतर है, वह सूक्ष्म है। फिर भी, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि लोकप्रशासन का अपना व्यक्तित्व है, जो व्यक्तिगत प्रशासन से इसे अलग कर देता है। अतः, एम० पी० शर्मा का यह कहना बिल्कुल सही है कि "लोकप्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन एक ही लक्ष्य के दो पहलू हैं, लेकिन उनके अपने-अपने विशेष महत्त्व और तरीके हैं, जो एक-दूसरे को अलग-अलग प्रकृति प्रदान करते हैं।"²